झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची–834010.

e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2023

आवश्यक सूचना–02

दिनांक –19.07.2023

विषयांकित परीक्षा के विज्ञापन से संबद्ध विवरणिका में अंकित प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित/अत्यंत पिछड़ा वर्ग–1 (अनुसूची–1), पिछड़ा वर्ग–2 (अनुसूची–2) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। संशोधन के उपरांत अंतर राशि शुल्क का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

उक्त के क्रम में अभ्यर्थी श्री सुबोध कुमार राम (Subodh Kumar Ram), आवेदन संख्या– 230203003535 एवं श्री शिवानन्द गौतम (Shivanand Gautam), आवेदन संख्या–230204002259 द्वारा क्रमशः अपने आरक्षण कोटि अनुसूचित जनजाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग–1 (अनुसूची–1) कोटि तथा अनुसूचित जाति को अनारक्षित कोटि में संशोधित करने के उपरांत संबंधित परीक्षा के आवश्यक सूचना संख्या–01, दिनांक–07.06.2023 द्वारा अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अंतर राशि शुल्क का भुगतान किये जाने हेतु निदेशित किया गया था, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

अतः संबंधित परीक्षा के विज्ञापन में अंकित शर्त्तों के आलोक में श्री सुबोध कुमार राम एवं श्री शिवानन्द गौतम का आवेदन रद्द किया जाता है।

ह०/–
परीक्षा नियंत्रक।